

13/12/19 जिला कलेक्टर को पत्रावली द्वारा पत्रावली दिनांक 1-1-20 को पेश हो।


1-1-20 पत्रावली आज पेश हुई।

कमीलोट द्वारा यह कमीलोट अर्जेंट चार 19(1) सूचना के अधीन अधीन 2005 के तहत प्रस्तुत कर घोषित सूचना उपलब्ध कराते हेतु लोक सूचना अधिनियम के तहत निर्देशित करके हेतु त्रिवेदा किया।

इस न्यायालय द्वारा त्रिवेदा

जो गैर लोक सूचना अधिनियम (RTI) यानी ने जस्टिफिकेशन सं. लो. प्र. क्र. 26/2019/ISS-डि 20-9-2019 के द्वारा उपलब्ध करा: दो ख्यात त्रिवेदा किया तथा कमीलोट अर्जेंट करवाते हेतु भी त्रिवेदा किया। कमीलोट द्वारा घोषित सूचना उनके उपलब्ध करा दिए जाने से इस प्रकार के सूचना प्रकार की कार्यवाही कोषित नहीं रह जाती है। प्रकार इसी तरह निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली इस न्यायालय से शुभारंभ होकर तब तक से कर हो।



जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली